आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–30 / 2023

सुनीता कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	यह पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–18410 / 2018 में दिनांक 02.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के वाद संख्या–14 / 2018 में दिनांक 19.07.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अंश निम्नवत् है:– **" In that view of the matter, I direct that the petitioner may file revision before the Divisional Commissioner, Sitamarhi against the order dated 19.07.2018 (Annexure-11) passed by respondent No. 04, the District Magistrate, Sitamarhi and in case such revision is filed within four weeks from today, the revision shall be disposed of after hearing the parties by a reasoned and speaking order within a period of six months thereafter without going into question of delay, if any, which may have occurred in filing the revision."** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान स्वयं स्वीकार किया कि	

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रश्नगत मामले में श्रीमती कांति देवी का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 से संबंधित है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता आयुक्त न्यायालय को नहीं है।

आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में वादी (सुनीता कुमारी) का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011/2013 से हुआ है, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपील के रुप में किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि जब जिला पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपील के रुप में किया जा चुका है तो एक ही आदेश (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) के विरुद्ध दो न्यायालयों (समाहर्त्ता एवं आयुक्त) में वाद दायर करना Res Judicata के सिद्वांत के विरुद्ध है एवं प्रश्नगत वाद इस न्यायालय में पोषणीय भी नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL